प्रेस विज्ञप्ति

10.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08/02/2024 को ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने मैसर्स गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड के विरुद्ध आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसपीई, कोलकाता द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मैसर्स गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़े आरोपी व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों ने रियल एस्टेट विकास की आड़ में आम जनता से भारी मात्रा में पैसा जुटाया था। उन्होंने जमाकर्ताओं को "कंपनी में जमा की गई राशि पर अधिक रिटर्न" का लालच देकर आरबीआई, सेबी, आरओसी आदि जैसे नियामक संस्थाओं की मंजूरी के बिना ही प्लॉट बुकिंग की आड़ में अवैध वित्तीय व्यवसाय/एकमुश्त जमा, आवर्ती जमा, आरडी/मासिक निवेश योजनाएं (एमआईएस), वाईएलवाई योजना आदि की योजनाएं शुरू की थीं। सहयोगी कंपनियों और निदेशकों और सहयोगियों के खातों में बड़े पैमाने पर नकदी के हस्तांतरण का भी पता चला है।

तलाशी अभियान के दौरान, तलाशी किए गए व्यक्तियों से कुल 43.48 लाख रुपए नकद और 64.22 लाख रुपए के बैंक बैलेंस के साथ-साथ 35 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई। इसके अलावा मामले से संबंधित 1500 एकड़ की संपत्ति के कागजात और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी विभिन्न परिसरों से जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।